उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या–943/60–2–13–2/1(81)/2012
लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.10.12 द्वारा पुष्टाहार एवं अन्य दरों को पुनरीक्षित करते हुए आईसीडीएस योजना को पूरे देश में 'मिशन मोड' के रूप में कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार कार्यक्रम को मिशन मोड में कियान्वित किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जानी है। मिशन मोड का मुख्य उद्देश्य योजना के अन्तर्गत सेवाओं का संस्थानीकरण तथा सभी स्तर पर संरचना का सशक्तीकरण, सभी स्तरों पर आईसीडीएस कर्मियों का प्रशिक्षण व क्षमता विकास, अन्तर्विभागीय समन्वय का सशक्तिकरण, सामुदायिक जागरूकता व भागीदारी में वृद्धि तथा आईसीडीएस प्रबन्धन सूचना प्रणाली विषयान्तर्गत नवीन शोध व सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से संचालन व उपयोग करना है।

2. आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर ही एक तकनीकी कमेटी **'स्टेट इम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी'** (SEPC) का गठन किया जाता है। इस सर्वोच्च तकनीकी कमेटी में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के वे समस्त अधिकार निहित होंगे जो कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन में सहायक सिद्ध हो सकें। इस कमेटी के गठन का स्वरूप निम्नवत है:–

(1)	मुख्य सचिव	– अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास	– उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, वित्त	– सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, नियोजन	– सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा व स्वास्थ्य	– सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा	– सदस्य
(7)	स्टेट मिशन डायरेक्टर	– सदस्य/सचिव

3. इस कमेटी की बैठक माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

4. सैद्धान्तिक रूप से प्रदेश के 41 जनपदों में आईसीडीएस योजना को मिशन मोड में संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. निदेशक, आईसीडीएस को मिशन डायरेक्टर के रूप में नामित किया जाता है। निदेशक, आईसीडीएस/मिशन डायरेक्टर द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत सोसाइटी का गठन तथा अन्य औपचारिकताएं इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पूरी करायी जायेंगी।

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या–943(1)/60–2–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र संख्या–1–8/2012–सीडी–। दिनांक 22.10.12 के कम में।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/बेसिक शिक्षा को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. निदेशक/स्टेट मिशन डायरेक्टर, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

भवदीय,

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव